भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *168

सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास

*168. श्री निहाल चन्द चौहानः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा, विशेषकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, किन्हीं नए पर्यटन स्थलों को चिह्नित किया गया है;

(ख) क्या उक्त पर्यटन स्थलों के विकास पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए अलग से किसी बजट का प्रावधान किया गया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

*****

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 13.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. *168 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

(क) और (ख): पर्यटक स्थलों की पहचान और विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । 'सीमा सुरक्षा बल चेक पोस्ट, तनोट परिसर में सीमा पर्यटन का विकास' सहित राजस्थान राज्य में ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है । इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने अब स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को परिवर्तित कर दिया है और राजस्थान में विकास हेतु 'जोधपुर' तथा 'बूंदी (केशवरायपाटन)' को चिह्नित किया है ।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र द्वारा संरक्षित 3696 स्मारक हैं । एएसआई संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यकता के आधार पर स्मारकों के संरक्षण का कार्य कर रहा है । स्मारकों का रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है । राजस्थान सहित देश में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और विकास पर हुए व्यय का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है ।

(घ): ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष (एएमएसएआर) अधिनियम, 1958 (संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 2010) के कार्यक्षेत्र में आता है जिसके लिए अलग से कोई बजट शीर्ष निर्धारित नहीं किया गया है । तथापि एएसआई के विनिर्दिष्ट केंद्र संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) के संरक्षण (भौतिक सुरक्षा शामिल करने के लिए) पर होने वाले व्यय के लिए एक विशिष्ट बजट शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाएं' मौजूद है ।

*****

अनुबंध ।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 13.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. *168 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

(करोड़ रु. में)

क	पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण			
क्र.सं.	परिपथ / स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	जारी की गई राशि
1	मरूस्थल परिपथ/ 2015-16	सांभर लेक टाउन और अन्य स्थलों का विकास	50.01	50.01
2	कृष्ण परिपथ/ 2016-17	गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) एवं नाथद्वारा (राजसमंद) का विकास	75.80	72.01
3	आध्यात्मिक परिपथ/ 2016-17	आध्यात्मिक परिपथ का विकास - 'चुरू (सालासर बालाजी) - जयपुर (श्री समोदके बालाजी, घाटके बालाजी, बांधेके बालाजी)- विराटनगर (बीजक, जैनासिया, अंबिका मंदिर)- भरतपुर (कामन क्षेत्र)- धौलपुर (मुचकुंड) – मेहंदीपुरबालाजी - चित्तौड़गढ़ (सांवलियाजी)	87.05	72.23
4	विरासत परिपथ/ 2017-18	विरासत परिपथ का विकास - राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) - जयपुर (जयपुर और नाहरगढ़ किले के अग्रभाग में प्रकाश व्यवस्था) - झालावाड़ (गागरोन किला) - चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ किला) - जैसलमेर (जैसलमेर किला) - हनुमानगढ़ (गोगामेदी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए-निलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेड़ता) - टोंक (सुनहरी कोठी)	70.61	60.91
ख	पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के तहत राजस्थान में स्वीकृत सीएफए का विवरण ।			
	2022-23	सीमा सुरक्षा बल चेक पोस्ट, तनोट परिसर में सीमा पर्यटन का विकास।	17.67	1.60
ग	प्रशाद योजना के तहत राजस्थान में स्वीकृत परियोजना का विवरण ।			
	2015-16	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	32.64	26.11

*****

अनुबंध ।।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध में दिनांक 13.03.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. *168 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

पिछले दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और विकास के लिए हुए व्यय का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	सर्कल / शाखा	2020-21	2021-22	2022-23
			व्यय	व्यय	व्यय
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा	12.96	19.35	19.33
		झांसी	1.00	4.15	5.95
		लखनऊ	3.88	10.44	16.99
		सारनाथ	4.38	5.50	8.23
		मेरठ	0	2.80	4.98
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3.16	7.99	16.96
		मुंबई	11.00	12.00	13.93
		नागपुर	4.00	4.50	3.18
3.	कर्नाटक	बैंगलोर	5.27	9.75	18.09
		हम्पी	9.10	8.00	8.04
		धारवाड़	6.40	7.32	8.64
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	11.50	11.50	13.89
		जबलपुर	3.50	4.75	7.03
5.	ओडिशा	भुबनेश्वर	3.63	8.23	11.90
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6.02	7.57	8.50
7.	सिक्किम	रायगंज	1.35	5.00	6.14
8.	तमिलनाडु, पुडुचेरी (यूटी)	चेन्नई	5.25	8.00	10.73
	तमिलनाडु	त्रिची	2.00	4.00	7.40
9.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	0.80	1.50	5.74
10	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.25	1.15	8.06
11.	दिल्ली (एनसीटी)	दिल्ली	20.82	19.08	25.77
		दिल्ली मिनी सर्कल	3.69	--	--
12.	गोवा	गोवा	3.70	7.00	9.74
13.	असम	गुवाहाटी	3.04	3.30	6.50
14.	मणिपुर	आइजोल	1.32	1.25	1.78
	मेघालय				
	मिजोरम				

	नागालैंड				
	त्रिपुरा				
	अरुणाचल प्रदेश				
15.	राजस्थान	जयपुर	7.40	7.53	9.48
		जोधपुर	4.10	4.50	6.50
16.	तेलंगाना	हैदराबाद	2.80	6.80	13.99
17.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	4.57	5.75	10.97
18.	बिहार	पटना	1.23	3.35	7.21
19.	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	श्रीनगर	0.80	2.55	4.04
		मिनी सर्कल लेह	0.20	0.43	1.82
20.	केरल	त्रिशूर	2.03	6.82	6.10
21.	गुजरात दमन और दीव (यूटी)	वडोदरा	6.36	8.00	9.81
	गुजरात	राजकोट	0.99	2.50	2.41
22.	उत्तराखंड	देहरादून	4.60	3.75	4.49
23.	छत्तीसगढ	रायपुर	2.89	4.78	6.28
24.	झारखंड	रांची	0.88	1.16	1.78
		रासायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	3.80	6.48	8.44
		बागवानी कार्यकलाप (अखिल भारतीय)	44.75	19.32	--
		डीजी कार्यालय	44.42	11.73	0.55
		रिजर्व	-	--	--
		कुल	260.84	269.58	340.92 (01.03.2023 तक)

*****